न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 118/2014 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2014/00129

1/1 श्रीमती सुमन भाटिया बेवा डॉ. अनिल भाटिया निवासी सी–47, सेक्टर 20, नोएडा, उतरप्रदेश जोन एफ.सी.आर. दिल्ली।

1/2 प्रंजली भाटिया पुत्री डॉ. अनिल भाटिया निवासी सी–47, सेक्टर 20, नोएडा, उतरप्रदेश जोन एफ.सी.आर. दिल्ली।

1/3 रामील भाटिया पुत्री डॉ. अनिल भाटिया निवासी सी–47, सेक्टर 20, नोएडा, उतरप्रदेश जोन एफ.सी.आर. दिल्ली।

1/4 युवराज भाटिया पुत्र डॉ. अनिल भाटिया निवासी सी–47, सेक्टर 20, नोएडा, उतरप्रदेश जोन एफ.सी.आर. दिल्ली।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. रविन्द्र भाटिया पुत्र गुरचरण लाल भाटिया जाति राजपूत निवासी 98 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
2. कान्ता भाटिया पत्नी गुरचरण लाल भाटिया जाति राजपूत निवासी 82 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
3. सुनील भाटिया पुत्र गुरचरण लाल भाटिया जाति राजपूत निवसी 98 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
4. विजय भाटिया पुत्र गुरचरण लाल भाटिया जाति राजपूत निवासी 98 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
5. कल्पना भाटिया पुत्री गुरचरण लाल भाटिया जाति राजपूत निवासी 98 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
6. कीर्ति भाटिया पुत्री गुरचरण लाल भाटिया जाति राजपूत निवासी 98 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थित: श्री श्याम कुलरिया – अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेंट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 08.03.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 10.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 2 जी छोटी में मुरब्बा नंबर 41 में 25 बीघा, मुरब्बा नंबर 42 में 25 बीघा व मुरब्बा नंबर 30 में 25 बीघा कुल 75 बीघा भूमि थी जिसका बंटवारानामा दिनांक 13.04.1972 को गुरचरणलाल ने अपने जीवन काल में निम्न प्रकार से किया।

1. हिस्सा गुरचरण लाल मुरब्बा नंबर पुराना 42 नया 35 के 25.00 बीघा
2. हिस्सा रविन्द्र कुमार मुरब्बा नंबर पुराना 41 नया 34 के 25.00 बीघा
3. हिस्सा अनिल कुमार मुरब्बा नंबर पुराना 30 नया 28 के 25.00 बीघा

इस बंटवारे के आधार पर नये मुरब्बा नंबरों के लिहाज से इन्तकाल संख्या 6 दिनांक 24.09.1974 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया। किन्तु इस इंतकाल में गलती से मुरब्बा नंबर 28 जो अपीलांट को देय था, उसका इंतकाल गुरचरणलाल के हक में, गुरचरणलाल को बंटवारें में प्राप्त मुरब्बा नंबर 35 का इन्तकाल अपीलांट के नाम तस्दीक हो गया। इसके आधार पर इनका जमाबन्दी में अंकन हो गया। इस इंतकाल को अनिल भाटिया व रविन्द्र भाटिया ने स्वीकार कर लिया। इसी आधार पर गुरचरणलाल स्वयं को मुरब्बा नंबर 28 का मालिक व अनिल भाटिया को मुरब्बा नंबर 35 का मालिक मानते हुए इस पर अमल करते रहे। इस बंटवारे नामे के आधार पर इन्तकाल संख्या 107 दिनांक 21.05.1993 को पुनः स्वीकार हो गया और पूर्व इंतकाल की बात को दोहराते हुए मुरब्बा नंबर 28 गुरचरणलाल को, मुरब्बा नंबर 35 अनिल भाटिया व मुरब्बा नंबर 34 रविन्द्र भाटिया के नाम दर्ज कर दिया गया, जिसे सभी पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् इन्तकाल संख्या 201 दिनांक 10.05.2006 के द्वारा गुरचरणलाल के नाम दर्ज मुरब्बा नंबर 28 का भी बंटवारानामा के आधार इन्तकाल अनिल भाटिया के नाम दर्ज हो गया। इसप्रकार अपीलांट अनिल भाटिया के नाम इन्तकाल संख्या 6 दिनांक 24.09.1974 द्वारा मुरब्बा नंबर 35 की 25 बीघा भूमि व इन्तकाल संख्या 201 दिनांक 10.05.2006 दोनो द्वारा मुरब्बा नंबर 28 की 25 बीघा भूमि कुल तादादी 50 बीघा भूमि दर्ज हो गई, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी रविन्द्र भाटिया ने न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर में अपील संख्या 17/2008 दायर की। अप्रार्थी संख्या 01 रविन्द्र भाटिया द्वारा की गई अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.04.2012 को स्वीकार कर ली गई। उक्त आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 10.04.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री श्याम कुलरिया ने अपनी वहस में कथन किया है कि अपीलार्थीगण के पिता स्व. अनिल भाटिया ने आदेश दिनांक 10.04.2012 द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर व इंतकाल संख्या 201 दिनांक 10.05.2006 द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थीगण के पिता अनिल भाटिया का स्वर्गवास दिनांक 09.04.2019 को हो जाने के बाद उनके विधिक वारिसान को पक्षकारों के रूप में संयोजित किया जा चुका है। अपीलार्थीगण के पिता स्व. अनिल भाटिया के हिस्से में मुरब्बा नंबर 30 जिसका नया मुरब्बा नंबर 28 बनाकर 25 बीघा भूमि लिख दी, जिसके अनुसार इन्तकाल संख्या 201 दिनांक 10.05.2006 तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा तस्दीक किया गया जो बंटवारानामा के विपरीत नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने इस बिन्दु को दरकिनार कर विधि विरूद्ध जाकर रेस्पोडेन्ट्स को फायदा पंहुचाने के उद्देश्य से आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र इन्तकाल संख्या 201 की अपील विचाराधीन थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल संख्या 6 व इन्तकाल संख्या 107 को भी निरस्त कर दिया, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नहीं था। इसप्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स को अनुचित फायदा पंहुचाने के लिए आदेश दिनांक 10.04.2012 पारित किया, जो कानून के मान्यता प्राप्त प्रावधानों के विपरीत होने एवं अपीलार्थीगण के विधिक अधिकारों की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट स्व. अनिल भाटिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 3 ता 6 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पति श्री गुरचरणलाल के नाम 2 जी छोटी में मुरब्बा नंबर 41 में 25 बीघा, मुरब्बा नंबर 42 में 25 बीघा व मुरब्बा नंबर 30 में 25 बीघा कुल 75 बीघा भूमि थी, जिसका दिनांक 13.04.1972 को रजिस्टर्ड बंटवारा स्व. अनिल भाटिया, रविन्द्र भाटिया एवं स्वयं स्व. गुरचरणलाल के मध्य हुआ। गुरचरणलाल की मृत्यु उपरांत उसका हिस्सा अपीलार्थीगण के पिता स्व. अनिल भाटिया के नाम इन्तकाल संख्या 201 दिनांक 10.05.2006 दर्ज हो गया, जो सही नहीं है। उक्त इन्तकाल संख्या 201 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स ने अपील की, जो स्वीकार होने से इंतकाल संख्या 201, 6 और 107 तीनों को खारिज कर दिया और गुरचरणलाल के हिस्से की जमीन मुरब्बा नंबर 42 नया 35 का इंतकाल समस्त वारिसानों के नाम दर्ज करने के आदेश दिए।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलार्थीगण के पिता स्व. अनिल भाटिया इंतकाल संख्या 201 दिनांक 10.05.2006 के आधार पर दो मुरब्बा भूमि लेना चाहता है, जो गलत है। इंतकाल संख्या 6 बंटवारे के खिलाफ हैं व इंतकाल संख्या 107 पूर्व में दर्ज इन्तकाल संख्या 6 दिनांक 24.09.1974 की पुनरावृति है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2012 को यथावत रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि 2 जी छोटी में मुरब्बा नंबर 41 में 25 बीघा, मुरब्बा नंबर 42 में 25 बीघा व मुरब्बा नंबर 30 में 25 बीघा कुल 75 बीघा भूमि हिन्दू अविभाजित परिवार की अविभाजित सम्पति होने के कारण इसका बंटवारा निम्न प्रकार से किया गया—

1. हिस्सा गुरचरण लाल मुरब्बा नंबर पुराना 42 नया 35 के 25.00 बीघा
2. हिस्सा रविन्द्र कुमार मुरब्बा नंबर पुराना 41 नया 34 के 25.00 बीघा
3. हिस्सा अनिल कुमार मुरब्बा नंबर पुराना 30 नया 28 के 25.00 बीघा

उक्त बंटवारानामा दिनांक 13.04.1972 के आधार पर स्व. गुरचरणलाल, रविन्द्र भाटिया एवं स्व. अनिल भाटिया प्रत्येक 25—25 बीघा भूमि के हकदार थे किन्तु अपीलार्थीगण के पिता स्व. अनिल भाटिया जो कि 25 बीघा भूमि के हकदार थे, के नाम पर 75 बीघा भूमि में से 50 बीघा भूमि दर्ज हो गई। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2012 न्यायोचित है। हम न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2012 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 10.04.2012 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर